02-03-17 राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।
अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री बी०एस० यादव उप०।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी लीलादेवी उप0। उसकी ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने मेमो पेश किया।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320—2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा एव अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री बी०एस0 यादव द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ–लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया ।

अभियुक्त पर दिनांक 06.08.06 की घटना के संबंध में भा0द0वि0 की धारा 354 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त अपराध दप्रस (संशोधन) अधि0 2008 की धारा 23—।। प्रभावी दिनांक 31.12.2009 से उपशमनीय नहीं रहा है। चूंकि उक्त अपराध संशोधन के पूर्व का है ऐसे में न्यायदृष्टांत—अब्दुल सुफान लश्कर विरुद्ध असम राज्य 2008—9 एस सी सी—333 में प्रतिपादित विधि के अधीन संशोधन के पूर्व के अपराध शमनीय होने की दशा में पूर्वानुसार उपशमन किया जा सकता है। अतः उक्त आरोप न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 354 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

ATTACKS PAR

सही / –

Gohad distt.Bhind (M.P.)

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class